डॉ० सुधीर कुमार सिंह प्राचार्य, रविनाथ महिला कॉलेज, जलालपुर, समाजशास्त्र विभाग, ग्रामीण समाजशास्त्र
पत्र सं० - VI, इकाई - 8, बी०ए० (H), खण्ड - III

ग्रामीण विवाह की समस्याएँ (Problems connected with Rural Marriage) :- ग्रामीण विवाह से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ पाई जाती हैं, जो निम्न हैं-

(1) बाल विवाह - गांव में छोटे बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है। कभी-कभी तो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माता-पिता गोद में बिठाकर विवाह करते हैं। इसके लिए धार्मिक कारक, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अशिक्षा, संयुक्त परिवार, कृषि एवं उनकी आर्थिक परिस्थिति आदि उत्तरदायी हैं। लड़के लम्बे समय तक अविवाहित रहना सामाजिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। ग्रामीणों में गौने की प्रथा पाई जाती है। अतः वे विवाह तो छोटी आयु में कर देते हैं, किन्तु लड़की की विदाई युवा होने पर ही किया जाता है।

(2) कन्या मूल्य - गांव में निम्न जातियों में कन्या मूल्य की प्रथा पाई जाती है। पुरुष को विवाह करने के लिए लड़की के पिता को मूल्य चुकाना होता है। जब पत्नी की मृत्यु हो जाने पर नाता करके दूसरी पत्नी लाई जाती है तब भी लड़की के पिता को मूल्य देना होता है। कन्या मूल्य की मांग अधिक होने पर भी कई बार पुरुषों को कुँआरा ही रहना पड़ता है।

(3) दहेज - दहेज वह धन है जो विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है। दहेज का प्रचलन गांवों में उच्च जातियों में अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी लड़की का विवाह उच्च कुल में हो, इसके लिए उसे वर पक्ष को अधिक दहेज देना होता है। आजकल दहेज की मात्रा बढ़ती जा रही है। अधिक दहेज देना और लेना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाने लगा है। दहेज के अभाव में कई गरीब कन्याओं को योग्य वर प्राप्त नहीं हो पाते।

(4) विधवा विवाह - गांवों में उच्च जातियों में विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं है, यद्यपि विधुरों को पुनर्विवाह की आज्ञा है। वहां बाल विवाह के कारण विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। विधवाओं के साथ अनेक अत्याचार होते हैं साथ ही किसी भी शुभ कार्य में उनकी उपस्थिति अपशकुन मानी जाती है। निम्न जातियों में विधवा विवाह की समस्या नहीं है।

(5) तलाक की समस्या — भारतीय धर्म-शास्त्रों में सामान्यतः विवाह-विच्छेद की स्वीकृति नहीं दी गई है। विवाह को जन्म-जन्मान्तर का संबंध माना गया है। अतः अपने जीवन-काल में एक हिन्दू विवाह विच्छेद नहीं कर सकता। केवल मृत्यु ही पति-पत्नी को पृथक करती है। पुरुष यदि अत्याचारी, व्यभिचारी, रोगी, अकर्मण्य अथवा क्रूर हो तो भी हिन्दू स्त्री उसे त्याग नहीं सकती और कई बार पति द्वारा किए जानेवाले अनेक अत्याचार भी उसे सहन करने होते हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री का जीवन कष्टमय हो जाता है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विशेष परिस्थितियों में स्त्री-पुरुष को तलाक छूट दी गई है, किंतु ग्रामीण जीवन कानूनों के स्थान पर प्रथाओं द्वारा ही अधिक नियंत्रित होता है। अतः वहां अब भी तलाक का प्रचलन सामान्यतः नहीं है।

वर्तमान में विभिन्न सामाजिक विधानों के निर्माण एवं आधुनिक शक्तियों के प्रभाव के कारण ग्रामीण विवाह में भी परिवर्तन होने लगे हैं, किंतु नगरीय विवाह की तुलना में यहां परिवर्तन कम ही घटित हुए हैं और काफी मात्रा में विवाह का परम्परात्मक स्वरूप अब भी बना हुआ है।

— x —